रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 480] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1975/अग्रहायण 6, 1897

No. 480] NEW DELHI, THRUSDAY, NOVEMBER 27, 1975/AGRAHAYANA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

[Plantation (A) Section]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th November 1975

S.O. 678(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 25 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby fixes six paise per kilogram as the rate at which a duty of excise on all tea produced in India shall be levied and collected as a cess for the purposes of the said Act from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. F. 11013(1)/75-Plant 'A']

R. TIRUMALAL, Addl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

[प्लांट (ए) अनुभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1975

का० आ० 678(अ).—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 25 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा छः पैसे प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित करती है जिस पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में, भारत में उत्पादित सभी चाय पर उत्पादन शुल्क लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा ।

[सं० एफ० 11013(1)/75—प्लांट 'ए']

आर० तिरुमलाई, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975